


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना.स्था/2018 दिनांक 19.06.2018 द्वारा श्री तेजाराम पुरोहित प्रधानाचार्य राआउमावि-अखराड जिला जालौर का स्थानान्तरण राआउमावि-डीगांव, जालौर किया गया था जिसके विरुद्ध श्री पुरोहित द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील सं. 1894/2018 तेजाराम पुरोहित बनाम श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा दायर की गई।

अपील सं. 1894/2018 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2018 द्वारा अपीलार्थी श्री तेजाराम पुरोहित के सम्बन्ध में जारी विभागीय स्थानान्तरण आदेश दिनांक 19.06.2018 को अनियमित एवं विधि विरुद्ध बताते हुए अपीलार्थी श्री तेजाराम की सीमा तक एतद्वारा अपास्त किया है।

अतः माननीय अधिकरण के आदेश की अनुपालना में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 19.06.2018 को अपीलार्थी श्री तेजाराम की हद तक एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/तेजाराम पुरोहित/1894/2018 दिनांक: 03.08.18
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. सम्बन्धित उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जालौर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक शिक्षा-जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सम्बन्धित कार्मिकों को आदेश की पालनार्थ।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।

8. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को
विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)